# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

## नवम् सत्र

## शुक्रवार, 28 अगस्त, 2015/6 भाद्रपद,1937 (शक्)

## 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) जल (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण), अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण), अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7)के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित);

   (ii) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 की धारा 12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश का 28वां वार्षिक संकलित प्रतिवेदन, वर्ष 2014; और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(3)-6/2010 दिनांक 18.04.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.06.2015 को प्रकाशित;

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) संस्था पंजीकरण अधिनियम,1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।

## 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति के **288वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **9वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 77वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **73वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 97वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **45वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 10वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **46वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **13वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के द्वितीय मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(4) **श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **पशु पालन विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

## 4. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :

**श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"That in pursuance of the under Section 16(1)(j) of The Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No.2. of 2015), the Member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Hon'ble Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the Member of the Board of Governor of Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for a period of three years commencing from the date of first meeting of Board of Governor of the University."

## 5. वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगे :

**श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का विवरण प्रस्तुत करेंगे:-

(i) सामान्य चर्चा ।

(ii) अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान ।

## 6. विधायी कार्य :

### (I) सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2009-2010 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत्त करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 14)

को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगी कि हिमाचल प्रदेश में फल पौधशालाओं (साँकुर शाखा बैंक और ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला सहित) का रजिस्ट्रीकरण और विनियमन करने के लिए विधि समेकित करने और पुन: अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक

हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 19)

को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

**(iii) श्री कौल सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 16) का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015

(2015 का विधेयक संख्यांक 21)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

**(iv) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे** हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015

(2015 का विधेयक संख्यांक 17)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

**(v) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015

(2015 का विधेयक संख्यांक 18)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

**(vi) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015

(2015 का विधेयक संख्यांक 20)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

## (II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से,

| | |
|---|---|
| हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015<br>(2015 का विधेयक संख्यांक 14) | वित्तीय वर्ष 2009-2010 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत्त करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।<br>वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। |

(ii) **श्री कौल सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश

| | |
|---|---|
| हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015<br>(2015 का विधेयक संख्यांक 15) | राज्य में अधिवक्ताओं के क्लर्कों की अभिवृद्धि के लिए कल्याण निधि का गठन करने और उसका उपयोग करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।<br>वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। |

(iii) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि

| | |
|---|---|
| हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015<br>(2015 का विधेयक संख्यांक 16) | हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।<br>वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। |

7. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :</u>

(1) **डॉ0 राजीव बिन्दल (56-नाहन),** राष्ट्रीय उच्च मार्ग-72 कालाअम्ब से पांवटा साहिब की दयनीय स्थिति के दृष्टिगत इसकी मरम्मत का कार्य जनहित में शीघ्रातिशीघ्र करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर (22-मनाली),** आनी शिक्षा खण्ड में राजकीय माध्यमिक पाठशाला डिगेड़ के नए भवन के निर्माण हेतु जनहित में शीघ्रातिशीघ्र बजट का प्रावधान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** प्रदेश सरकार विकास में जन-सहयोग योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को उचित लाभ दिलवाने के लिए इस योजना में आवश्यक संशोधन करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री सतपाल सिंह सत्ती (44-ऊना),** जिला सोलन के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों को किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से मनमाने ढंग से उपकरण लगवाने से उत्पन्न स्थिति की शीघ्रातिशीघ्र जांच करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री महेन्द्र सिंह (32-धर्मपुर),** धर्मपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत उप-तहसील संधोल का दर्ज़ा बढ़ाकर तहसील किए जाने से नामत: कुछेक पंचायतों के निवासियों को हो रही असुविधा के दृष्टिगत इन आदेशों को शीघ्रातिशीघ्र वापिस लेने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(6) **डॉ0 राजीव बिन्दल (56-नाहन),** नाहन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कालाअम्ब, उप-मण्डल में बिज़ली की आपूर्ति को जनहित में नियमित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(7) **श्री राम कुमार (52-दून),** प्रदेश में हिमुडा एवं निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किए जा रहे/खाली पड़े फ्लैटों को शीघ्रातिशीघ्र जनहित में आबंटित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(8) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, लोहारघाट का नाम बदलकर जनहित में शहीद राम रत्न मैमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, लोहारघाट करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(9) **श्री कुलदीप कुमार (41-चिन्तपुरनी),** जिला ऊना में सामाजिक सुरक्षा पैंशन को एजेंटों की जगह सीधे लाभार्थियों के खाते या मनीऑर्डर द्वारा जनहित में वितरित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(10) **श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर (22-मनाली),** ग्राम पंचायत गाहर, विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू के गांव लोअर गाहर, वार्ड न0-3 में नवनिर्मित सामुदायिक भवन के शेष कार्य हेतु जनहित में पर्याप्त बजट का प्रावधान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

8. <u>नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा</u> :

**श्री गुलाब सिंह ठाकुर,** "जोगिन्द्रनगर स्थित शानन जल विद्युत परियोजना की जर्जर स्थिति को सुधारने तथा इसे तत्काल प्रदेश सरकार के अधीन करने बारे चर्चा का विषय उठायेंगे ।"

9. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u> :

(1) **श्री सुरेश भारद्वाज, प्रस्ताव करेंगे कि:**

"प्रदेश की राजधानी शिमला की वर्तमान यातायात व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।"

(2) **डॉ0 राजीव बिन्दल, प्रस्ताव करेंगे कि:**

"सरकार की वर्तमान भर्ती प्रक्रिया की नीति पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171 004<br>
दिनांक: 27 अगस्त, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,<br>
सचिव ।

******

**(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)**